

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80) / लेखा / आकाशि / छा.ऑनलाईन / 2019-20 / 511

दिनांक-21/10/19

रजिस्ट्रार
समस्त विश्वविद्यालय
राजस्थान

विषय- महाविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर कोर्स मैपिंग / अनुमोदन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालयों द्वारा वर्ष 2017-18 में कोर्स मैपिंग उपरान्त संबंधित विश्वविद्यालयों से अनुमोदन चाहा गया है। जिससे की छात्रवृत्ति पोर्टल (<http://scholarship.rajasthan.gov.in>) पर महाविद्यालय का नाम प्रदर्शित हो सके तथा विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन किया जा सके।

महाविद्यालयों द्वारा कोर्स मैपिंग उपरान्त संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा समय पर अनुमोदन (Verify) नहीं करने से विद्यार्थियों को कठिनाई आ रही हैं।

अतः विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को निर्देशित करें कि वे जिन महाविद्यालयों द्वारा कोर्स मैपिंग कर अनुमोदन चाहा गया है। उनका साथ ही साथ अनुमोदन करें जिससे कि विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जा सके।

कृपया इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान करावें।



(प्रदीप कुमार बोरड़)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80) / लेखा / आकाशि / छा.ऑनलाईन / 2019-20 / 512

दिनांक : 21/10/19

प्रतिलिपि-प्रभारी, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।



(राजकुमार मीना)
वित्तीय सलाहकार